शिकायत आ रही है, मगर हमारे ध्यान में कोई इस प्रकार की शिकायत आएगी तो राज्य सरकारों से इसके ऊपर कार्यवाही करने के लिए हम कहेंगे।

Pension schemes for unorganised workers

*243. SHRI DINA NATH MISHRA: Wiill the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are considering introduction of a pension scheme for workers of unorganised sector with a view to provide necessary social security to them;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether funds have been kept apart for the purpose in the Tenth Five Year Plan;

(d) whether a proposal for generation of resources for funding of the scheme has been finalised; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI SAHIB SINGH VERMA): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (e) The Second National Commission on Labour has recommended an Umbrella Legislation for the unorganised sector. Government are proposing to bring a Bill in the Parliament in the ensuing Budget Session to that effect. While considering the social security measures for this sector, pension will be an important part of the scheme. Regarding its implementation and funding, the proposed legislation will have appropriate provision.

श्री दीनानाथ मिश्र: माननीय सभापति जी, उत्तर बड़ा समाधानजनक लगता है, खास कर अंबरेला लेजिस्लेशन लाने की बात कही गई है और पेंशन तक की उम्मीद जताई गई है, मगर श्रम आयोग के इस अध्याय को अगर पढ़ लें जो असंगठित क्षेत्र के बारे में है तो उसके पन्ने के बाद पन्ने, कम से कम बीस ऐसे बिंदु मिलेंगे जो कि निराशाज़नक तस्वीर पेश करते हैं। बात परिभाषा की चालू होती है, परिभाषित कैसे करेंगे। इसमें हजारों तरह की श्रेणियां हैं। क्या मंत्रीजी यह बतायेंगे कि कुछ श्रेणियों का इन्होंने चुनाव कर लिया है कि उनके अंदर सोशल सैक्योरिटी की यह कुछ बात करेंगे, क्या राज्यों के अनुसार या जिलों के अनुसार, क्योंकि कम से कम बीसियों हजार किस्म के काम करने वाले लोग असंगठित क्षेत्र में हैं?

श्री साहिब सिंह वर्मा: माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने यह तो बात सही कही है लेबर कमीशन ने जब इसके ऊपर चर्चा प्रारंभ की तो इसमें कई जगह पर, प्रारंभ में ही लिखा है, डेफीनिशन के संबंध में ही लिखा है कि असंगठित क्षेत्र की परिभाषा करना बहुत मुश्किल है। इसलिए कहा है कि असंगठित क्षेत्र में अनेकों तरह की श्रेणियां हैं। असंगठित क्षेत्र में हम उनको भी लेते हैं जो सैल्फ एम्प्लोयड हैं। रेहड़ी पटरी वाले हैं, खोमचे वाले हैं, कुली हैं, बेलदार हैं, पल्लेदार हैं, ट्रक ड्राईवर हैं, ऑटो रिक्शा ड्राईवर हैं, टैक्सी ड्राईवर हैं, ऐसी बहुत.सारी कैटेगरीज़ हैं जो कि सैल्फ एम्प्लोइड हैं, उनको भी हम इसमें शामिल करते हैं। कोई चाय की दुकान पर काम करता है, कहीं दो आदमी काम करते हैं,कहीं कंस्ट्रक्शन लेबर काम करता है, कोई खेत में काम करता है, इस प्रकार अनेकों कैटेगरीज़ हैं जोकि इसके अंदर शामिल होती हैं। हम और हमारे सभी अधिकारी इसके ऊपर बहुत चिंता के साथ और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और हमारा संकल्प है कि बजट सैशन में प्रस्ताव हम सदन में लेकर आयेंगे और उसमें माननीय सदस्य की जो शंकाएं हैं और उनको लेबर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने के बाद जो लगता है कि यह तो उलझा हुआ मामला है यह कैसे सुलझेगा, हम उस उलझे हुए मामले को सुलझाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और सुलझा रहे हैं और उसको पेश करेंगे।

श्री दीनानाथ मिश्र: सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या संसार के हमारे जैसे देश, जिनको इसी तरह की समस्यायें मुखातिब हैं, उनका कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है? क्या आई.एल.ओ. ने इसके बारे में कोई विचार किया है, क्या उनकी कुछ सिफारिशें हैं, कुछ अध्ययन हैं? तो हमें बताएं?

श्री साहिब सिंह वर्मा: सभापति जी, यह जो बिल हम पार्लियामेंट में पेश करेंगे, उसमें ये सारी बातें--आई॰एल॰ओ॰ के अंदर क्या प्रावधान हैं, क्या उनकी रिकमंडेशंस हैं, पूरी दुनिया के अंदर अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर के अंदर किस-किसने कानून बनाए हैं, उनका हम अध्ययन कर रहे हैं और अब हम जो बिल पेश करेंगे उसके लिए इन सब बातों का अध्ययन चल रहा है और हमारे अध्ययन के पश्चात् जो best possible होगा, it will be brought to the Parliament.

श्रीमती चन्द्रकला पांडे: धन्यवाद, सभापति महोदय। महोदय, राज्य सभा में 1.8.2000 को पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया था कि बीड़ी कामगारों तथा कतिपय गैर-कोयला खान कामगारों जैसी श्रेणियों के लिए कल्याण कोष गठित किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि क्या ये सेवाएं अन्य क्षेत्रों में विस्तारित की गयी हैं और कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, 2001 के तहत पेंशन से लाभान्वित होने वाले, श्रमिकों की राज्य-वार संख्या कितनी है? विशेष तौर से महिला श्रमिकों की संख्या कितनी है?

श्री साहिब सिंह वर्मा: सभापति जी, यह तो मैं बता सकूंगा कि हम इन सभी, चाहे बीड़ी वर्कर्स हों या खानों में काम करने वाले श्रमिक हों, जो असंगठित क्षेत्र में हैं, उनको हम इसमें कवर

करेंगे। अब जैसे आपने कहा कि जो महिलाएं एग्रीकल्चर लेबर में काम करती हैं, उनकी संख्या कितनी है और पुरुषों की कितनी है, मैं यह बता सकता हूं कि एग्रीकल्चर लेबर के बारे में जो कानून बनाया जाना था, उसमें 1975 में कार्यवाही शुरू हुई थी और 1987 में, 22 वर्ष बाद एक प्रारूप तैयार हुआ था। महोदय, इसे 1987 में राज्यों को भेजा गया था कि इस बारे में वे अपनी राय बताएं। उसमें कुछ राज्यों ने तो कहा कि यह हो नहीं सकता, कुछ ने कहा कि ऐसे हो सकता है, लेकिन अभी तक सभी की पूरी राय नहीं आई है। उस कारण केन्द्र की तरफ से हम एग्रीकल्चर लेबर के बारे में एक कानून बनाना चाहते थे, वह बना नहीं पाए हैं। महोदय, पूरे देश में केवल एक राज्य केरल है जिसने अपनी स्टेट में कानून बनाया है और 22 लाख वर्कर्स को रजिस्टर किया है, लेकिन उसको चलाने में उनके लिए मुश्किल हो रही है। दूसरा राज्य त्रिपुरा है जिन्होंने कानून बनाया था, लेकिन वह कार्यवाही करने की हिम्मत नही कर पा रहे हैं। सभापति जी हम अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर के बारे में जो बिल सदन के अंदर पेश करने वाले हैं, उस बिल के अंदर हम इन सभी कैटेगरीज का, जिसमें एग्रीकल्चर लेबर भी शामिल है, समावेश करके उसे पेश करेंगे।

MISS MABEL REBELLO: Sir, most of the people in the unorganised sector (almost 70 per cent) are women. They are working in the agricultural sector, handicraft sector and particularly, they are working as domestic servants. Sir, from the Chhota Nagpur belt, a lot of adivasi girls are coming to Delhi, Bombay, Calcutta and Madras and other metropolitan cities. Most of them are unmarried girls and most of the them remain unmarried. They are not only working as domestic servants but they are also being exploited. They even become sex-workers because of want of money. I want to know from the hon. Minister whether he is planning to do anything for these girls who are working as domestic servants in these metropolitan cities. If something is not done for them, they will all end up as sex-workers.

श्री साहिब सिंह वर्मा: माननीय सभापति जी, माननीय सदस्या की चिंता ठीक है कि अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि 70 परसेंट करती हैं क्यों -कि दिल्ली में ऐसी स्थिति नहीं है। दिल्ली में छोटी-छोटी फैक्ट्रीज में दो-दो, चार-चार, पांच-पांच लोग काम करते हैं या कोई होटल पर काम करता है, उनमें बड़ी संख्या में पुरुष ही होते हैं, लेकिन डॉमिस्टिक सर्वेंट्स या बैकवर्ड क्षेत्र से आई या लाई गईं अनमैरिड गर्ल्स भी नौकरी करती हैं और जब कभी भी उनका एक्सप्लॉइटेशन की शिकायतें आती हैं, मिनिमम वेजेज की आती है-उन पर कार्यवाही की जाती है।...(**व्यवधान**)...

MISS MABEL REBELLO: So many studies have been conducted which show that these domestic servants are being exploited. They are becoming sex-workers and some of them are even being killed. There are hundreds of such examples. He is misleading the House. The Minister should find it out from the universities, who have conducted these studies.

श्री साहिब सिंह वर्मा: सभापति जी, मैंने तो यह नहीं कहा कि एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है। मैंने तो यह कहा है कि अगर कहीं होता है, अगर हमारे पास शिकायत आएगी तो हम निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे और उसे पुलिस के पास भेजेंगे ...(व्यवधान)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभापति जी, यह जो मानसिकता है, इसका निदान नहीं है ...(व्यवधान)... अगर शिकायत आएगी तो हम कार्यवाही करेंगे ...(व्यवधान)... अपराध हो जाने दीजिए ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: मंत्री जी, माननीय सदस्य यह जानकारी करना चाहते हैं कि आप इंडीविजुअल कम्प्लेंट पर तो काम करते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनकी रोकथाम के लिए आप क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं?

श्री साहिब सिंह वर्मा: माननीय सभापति जी, ऐसी जो महिलाएं अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करती हैं, इसके लिए तो अभी कोई कानून ही नहीं बना है। हमने कहा कि अभी हम इनकी सेफगार्ड के लिए, इनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए जो बिल आपके सामने पेश करेंगे, उसमें जो भी पोसीबल वेआऊट होगा, वह बहनों से चर्चा करके, उनकी भी राय लेकर पेश करेंगे। मैंने जितने भी माननीय सदस्य हैं, जो राज्य सभा के सदस्य भी हैं और, लोक सभा के सदस्य भी हैं, मैंने सबको व्यक्तिगत पत्र लिखा है। ..(व्यवधान)

कुमारी मैबल रिबैलो: सर, मेरे पास नहीं आया है।

श्री सभापति: आपने पत्र खोला ही नहीं होगा। ...(व्यवधान)

कुमारी मैबल रिबैलो: नहीं, सर। आया ही नहीं है।

श्री साहिब सिंह वर्मा: सभापति जी, मैंने सबको व्यक्तिगत पत्र लिखा है। अगर किसी को पत्र नहीं भी मिला हो। ...(व्यवधान)... सभापति जी, मेरी बात सुन ली जाए। अगर किसी को पत्र नहीं भी मिला हो तो मैं सभी सदस्यों से सुझाव आमंत्रित कर रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से भी और लिखित में भी, कि जब चाहें वह मिल सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं ताकि इस असंगठित क्षेत्र के संबंध में जो बिल हम पेश करने वाले हैं, उसमें आप सभी की जो सोच है उसका उसमें समावेश हो सके। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बस अब तो हो गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 244, श्री विजय राघवन।

Supply of rice to BPL families

*244. SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the news report captioned "Right